परिशिष्ट - बी - 2

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छ0ग0

भृत्य के रिक्त पद हेतु प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निराकरण

क.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदित पद का नाम	लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने के लिये अयोग्य पाने का कारण	प्राप्त आपत्ति का निराकरण	रिमार्क
1	बलराम	भृत्य	फोटो व दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं है तथा घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
2	दुर्गा यादव	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी	

				के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
3	निखिल सिंह	भृत्य	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है तथा दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होना उल्लेखित है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
4	बलिन्दर राम	भृत्य	आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	आपत्ति पर विचार किया गया, आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र एवं घोषणा में हस्ताक्षर किया गया है, अतः आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये विचार किये जाने योग्य पाया गया है ।	आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र में हस्ताक्षर अंकित होने से योग्य पाया गया ।
5	प्रिंस राजवाड़े	भृत्य	आठवीं का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने एवं आवेदित पद के नाम का उल्लेख नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना	

				बताया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा भृत्य पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
6	अमरदीप केरकेटटा	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
7	महेन्द्र	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना	

				बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
8	संदीप दास	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
9	अंकित दास	भृत्य	फोटो एवं संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं होने एवं आठवीं की अंकसूची स्वप्रमाणित नहीं होने एवं आवेदन पत्र हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, इसी प्रकार उप कंडिका–6 में आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा	

				किये जाने का उल्लेख किया गया है, तथा उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण आवेदन निरस्त माना जायेगा, का उल्लेख किया गया है, उपरोक्त शर्तों का पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
10	अजय कुमार नेताम	भृत्य	फोटो में स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
11	अनिल कुमार यादव	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका	

				पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
12	पप्पू लाल कुजूर	भृत्य	रोजगार पंजीयन का दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
13	रामप्रसाद तिग्गा	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने एवं आवेदन पत्र में आयु, वर्ष, माह, दिन अंकित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं	

				पाया गया है ।	
14	सुनेश कुमार	भृत्य	जाति वर्ग के कालम में जाति का उल्लेख नहीं करने, प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
15	महजबी अख्तर	भृत्य	आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं होने एवं आवेदन पत्र में आठवीं उत्तीर्ण होने का उल्लेख नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	

16	अश्विन खलखो	भृत्य	आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
17	मनीष कुमार	भृत्य	रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
18	मोनिका सिंह	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किया गया है ।	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का	

				उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
19	जय प्रकाश तिर्की	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
20	विनीता पैकरा	भृत्य	रोजगार कार्यालय का पंजीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का	

				जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है जिसे आवेदन के साथ अभ्यर्थी के द्वारा संलग्न नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
21	सुरेन्द्र कुमार	भृत्य	आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की घोषणा में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
22	नीतू विश्वकर्मा	भृत्य	रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है जिसे आवेदन के साथ अभ्यर्थी के द्वारा	

				संलग्न नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
23	मंगली सिंह	भृत्य	डाक से आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका 5 की उपकंडिका 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ई–मेल एवं फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । चूंकि, अभ्यर्थी ने डाक के माध्यम से आवेदन प्रेषित किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
24	शारदा	भृत्य	फोटो एवं दस्तावेज को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी	

				के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
25	दीपशिखा केरकेट्टा	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण एवं कक्षा आठवीं की अंकसूची प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
26	अंजली सिंह	भृत्य	जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण	अभ्यर्थी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण अभ्यर्थी का विचार भृत्य के अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद हेतु नहीं किया जा सकता, किंतु विज्ञापन में एक पद अनारक्षित वर्ग का भी है, अतः अभ्यर्थी का विचार उक्त अनारक्षित पद के संबंध में लिखित परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थी के रूप में किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः आपत्ति का निराकरण उपरोक्तानुसार किया गया ।	अनारक्षित वर्ग के पद हेतु योग्य पाया गया ।

27	मनोज पन्ना	भृत्य	आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
28	अभय कुमार राजवाड़े	भृत्य	दस्तावेजों में स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
29	अंकित कुमार गुप्ता	भृत्य	आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण	

				आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ न्यूनतम योग्यता आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
30	मनोज सिंह	भृत्य	स्वप्रमाणित फोटो चस्पा नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
31	अनि कुमार राजवाड़े	भृत्य	आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं किये जाने कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ न्यूनतम योग्यता आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं किये जाने के कारण उसकी	

				आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
32	नरेश कुमार	भृत्य	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है , जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
33	विवेकानंद गुप्ता	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है , जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
34	सूरजमनी	भृत्य	फोटो एवं दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं होने तथा	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की	

			रोजगार पंजीयन संलग्न नहीं करने के कारण	कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है , जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
35	दुर्गेश देहरी	भृत्य	अभ्यर्थी का नाम अनुसूचित जाति के वर्ग की सूची में रखा गया है जबकि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, जिसे सुधार करने हेतु आपत्ति प्रस्तुत किया गया है ।	आपत्ति पर विचार किया गया, अभ्यर्थी के आवेदन में अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने का उल्लेख किया गया है तथा अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के साथ जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें भी वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना दर्शित है, अतः आपत्ति स्वीकार कर उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किया गया ।	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिखित परीक्षा हेतु विचार किये जाने योग्य पाया गया ।
36	राखी सोनवानी	भृत्य	आवेदिका के द्वारा आयु के सर्मथन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र मे उल्लेखित जन्मतिथि भिन्न होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी	

				के द्वारा आवेदन में त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
37	आलोक राम	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
38	बबलू पैकरा	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं होने तथा आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में हस्ताक्षर	

				नहीं किया गया केवल अपना नाम हिन्दी में लिखा गया है, जबकि दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित करने के लिये उसका हस्ताक्षर अंग्रेजी में है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
39	माइकल केरकेटटा	भृत्य	फोटो में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
40	अजय दास	भृत्य	दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने तथा रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं	

				किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
41	घनश्याम यादव	भृत्य	रोजगार पंजीयन का दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण	अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत मूल आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, आवेदक वर्तमान में कुटुंब न्यायालय में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, चूंकि आवेदक शासकीय सेवा में है, ऐसे में विज्ञापन की कंडिका–5 की उपकंडिका–3 में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आवेदक को रोजगार पंजीयन का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । अतः आवेदक को अनारक्षित वर्ग के पद हेतु लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य पाया गया ।	आपत्ति निराकरण उपरांत पात्र होना पाया गया ।
42	कु0 एलसी लकड़ा	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार	

				किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
43	सुगन्ती पैकरा	भृत्य	जाति, निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने तथा दस्तावेजों में स्वप्रमाणित नहीं किये जाने का कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है , जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
44	दुर्गा	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं करने के कारण एवं संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित	

				परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।।	
45	जयप्रिता	भृत्य	फोटो स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
46	मन्नू राम	भृत्य	आठवी की अंकसूची संलग्न नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ भृत्य पद हेतु न्यूनतम योग्यता कक्षा आठवीं की अंकसूची संलग्न नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति	

				अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
47	कु. अनिता बड़ा	भृत्य	फोटो एवं दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।।	
48	चंदा कुजूर	भृत्य	फोटो एवं दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो	

				चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
49	चतुर सिंह	भृत्य	आवेदन पत्र में हस्ताक्षर नहीं किये जाने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र एवं घ ोषणा दोनों पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है, केवल अपना नाम एवं पता का उल्लेख किया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
50	जयन्ती मिंज	भृत्य	फोटो एवं दस्तावेज को स्वप्रमाणित नहीं किये जाने के कारण	दनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट	

				साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
51	सत्येन्द्र	भृत्य	घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–9 में त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आवेदन को निरस्त माना जावेगा, का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र में घ ोषण के कालम में अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जिसके कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	
52	आरती दास	भृत्य	फोटो व दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं होने एवं रोजगार पंजीयन जीवित नहीं होने के कारण	दिनांक 22 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन की कंडिका–5 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया का उल्लेख किया गया है, उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–3 में आवेदन के साथ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होना बताया गया है तथा उक्त कंडिका–5 की उप कंडिका–6 में आवेदन के साथ अभिप्रमाणित पासपोर्ट	

				साइज का नवीनतम फोटो चस्पा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन अभ्यर्थी के द्वारा नहीं किये जाने के कारण उसकी आपत्ति अस्वीकार कर उसे लिखित परीक्षा के संबंध में विचार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है ।	

27.10.2026

अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति,
अंबिकापुर/विशेष न्यायाधीश
(एट्रोसिटीज),
अंबिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)